जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 215 वीं बैठक दिनांक 26.05.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में ''चिन्तन'' कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे एजेण्डा संख्या–1 एवं 2 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी–I) से संबंधित है एवं एजेण्डा संख्या 3 व 4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–II) से संबंधित है। बैठक में लिये गये निर्णयो का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लियाः–

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–II) जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओमप्रकाश जोशी, उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री नरहरी सिंह पंवार, सहायक नगर नियोजक, मास्टर प्लान, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती नेहा खण्डेलवाल, सहायक नगर नियोजक, मास्टर प्लान, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री भगवान सहाय सैनी, तहसीलदार, जोन–6, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा

214 / 12.05.2014

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक कमांक 214 वीं बैठक दिनांक 12.05.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 214 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2014 / डी–277 दिनांक 16.05.2014 को जारी किये जा चुके हैं। समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा–1

215 / 26.05.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :– प्रारूप सेक्टर प्लान–56 बी के अनुमोदन बाबत्।

प्रारूप सेक्टर प्लान–56 बी को अनुमोदन हेतु बीपीसी (एलपी) की 199वीं बैठक दिनांक 16.08.2013 में विचारार्थ रखा गया था जिसमें जनता से आपत्ति / सुझाव मांगे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त निर्णय के कम में दिनांक 23.09.2013 को जनता से आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी। प्राप्त आपत्ति / सुझावों के निस्तारण के संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 23.12.2013 को बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को बीपीसी (एलपी) की बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया व समिति द्वारा आपत्तियों / सुझावों के संदर्भ में कमेटी की सिफारिशों का अवलोकन कर निम्न निर्णय लिया गया :–

1. आपत्ति संख्या 1, 2, 6 व 7 में वर्णित सड़क प्रारूप मास्टर विकास योजना–2025 में प्रस्तावित सड़क नहीं थी किन्तु फाईनल मास्टर विकास योजना–2025 में यह सड़क 48 मीटर दर्शायी गयी है। अतः आपत्तिकर्ता तत्समय आपत्ति दर्ज नहीं करा सके थे। उक्त तथ्य के मध्येनजर प्रश्नगत सडक को 48 मीटर के स्थान पर 30 मीटर प्राधिकरण से अनुमोदन किये जाने की अभिशंषा के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. आपत्ति संख्या 3 व 5 के अनुसार प्रश्नगत सड़क पर प्रारूप मास्टर विकास योजना–2025 के संन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में 60′ ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।
3. आपत्ति संख्या 4 के संदर्भ में सेक्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति / सुझावों हेतु गठित समिति की सिफारिश अनुसार 30 मीटर (100′) ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।
4. आपत्ति संख्या 8 के संदर्भ में कालवाड़ रोड़ से कनकपुरा को जोड़ने वाली सड़क को सेक्टर प्लान में सहवन से 30 मीटर दर्शायी थी जो कि मास्टर प्लान–2025 व पी.आर.एन. प्लान में 36 मीटर है। अतः उक्त रोड को 36 मीटर ही रखा जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा–2

215 / 26.05.2014 (जोन–4)

विषय :– बसन्त बहार सिंधी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर की योजना बसन्त बहार के भूखण्ड संख्या 35 व 202 की लीजडीड जारी करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डे पर विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया कि भूखण्डधारी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि व रोड से प्रभावित भूमि पर दुकाने हटाने के पश्चात ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जोन अपने स्तर पर 160 फीट सेक्टर रोड में आने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करें।

एजेण्डा–3

215 / 26.05.2014 (जोन–7)

विषयः– निजी खातेदार की आवासीय योजना कनक वृन्दावन डी व ई ब्लाक में अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आईजी. को किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.7.2012 के अनुसार योजना की भूमि की 90–बी की कार्यवाही दिनांक 23.12.2009 को की गई है तदानुसार योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आईजी. भूखण्डो को आरक्षित किया जाना आवश्यक नही है। अतः समिति द्वारा जोन के प्रस्तावानुसार ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आईजी. के भूखण्डो को सामान्य आवासीय भूखण्डों के तौर पर रिलीज किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–4

215 / 26.05.2014 (जोन–15)

विषय :– ग्राम झाई के खसरा नं. 502, 503, 504 / 1, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 500 कुल 2.9091 हैक्ट0 एवं सेज की 200 फिट रोड़ की पुनर्वास योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 19, 20, 21 व 22 क्षेत्रफल 1080 वर्गमीटर के साथ पुनर्गठन कर कुल क्षेत्रफल 30171 वर्गमीटर का ग्रुप हाउसिंग आवासीय एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि में सेज रोड़ के भूखण्ड संख्या 19, 20, 21 व 22 का पुर्नगठन शामिल है अतः नियमानुसार पूरे क्षेत्रफल का पुनर्गठन शुल्क लिया जावें एवम् ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से अधिक है अतः प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे। स्वीकृति प्राप्त होने पर भूखण्ड की नियमानुसार लीज डीड जारी कर दी जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा–1

215/26.05.2014 (जोन–6)

विषय :– प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर–ए के भूखण्ड संख्या 34, 35, 54, 54–बी, 55–सी का पुनर्गठन/अनुमोदित कर आवासीय एकल पट्टे हेतु।

पत्रावली समिति द्वारा बैठक में मंगवाई गई। समिति द्वारा जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं प्रकरण से संबंधित पत्रावली में अंकित समस्त तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदित है। प्रकरण पर बीपीसी (एलपी) की बैठक में विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का स्वामित्व जोन स्तर पर सुनिश्चित कर भूखण्ड संख्या 34, 35, 54, 54–बी, 55–सी का पुनर्गठन कर आवासीय एकल पट्टा जारी किया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

24.6.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/मा. प्लान/बीपीसी (एलपी)/2014/डी–290
दिनांकः 24/6/2014

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

24.6.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।